प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्र. 326/2009

अपीलार्थी : मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़) व अन्य

उत्तरवादी क्र. 1

बनाम

उत्तरवादीगण : सय्येद अकबर अली हाश्मी व अन्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्डपीठ में अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के अंतर्गत रिट अपील।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खण्डपीठ : माननीय न्यायमूर्ति **श्री आई.एम. कुद्दुसी** एवं

माननीय न्यायमूर्ति **श्री एन.के. अग्रवाल**।

उपस्थित : श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता, श्री सूर्यकांत मिश्रा, राज्य/अपीलकर्ताओं के पैनल अधिवक्ता के साथ

श्री आशीष सुराणा, उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(28/08/2010 को पारित)

न्यायमूर्ति आई.एम. कुद्दुसी द्वारा,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. यह रिट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (सेवा) क्र. 1328/2005 में पारित दिनांक 03.09.2009 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कहा गया था कि विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में 'डीपीसी') ने पांच वर्षों में से दो वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार नहीं किया था, जो राज्य द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थीं और याचिकाकर्ता (इसमें उत्तरवादी क्र.1) की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था, तथा उत्तरवादी क्र. 1 के मामले पर 2 अप्रैल, 1994 को नए सिरे से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, जब से डीपीसी आयोजित की गई थी और डीपीसी द्वारा स्वयं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित आदेश पारित किए गए थे।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि, वर्तमान रिट अपील में उत्तरवादी क्रमांक 1, 11 मई, 1977 के नियुक्ति आदेश द्वारा नायब तहसीलदार के रूप में शासकीय सेवा में शामिल हुए। इसके बाद, उन्हे 3 अक्टूबर, 1988 के आदेश द्वारा तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया। वरिष्ठता सूची में, उत्तरवादी क्रमांक 1 का नाम क्रम क्र. 230, पर दर्शाया गया था और उत्तरवादी क्रमांक 2, को क्रम क्र. 231, पर रखा गया था। अगली पदोन्नति एम.पी/सी.जी राज्य प्रशासनिक सेवा वर्गीकरण भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 1975 (संक्षेप में 'नियम, 1975') के तहत डिप्टी कलेक्टर के पद पर विचार की जानी थी।

3. कनिष्ठ वेतनमान में डिप्टी कलेक्टरों के 90 रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 1993 में विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। नियम, 1975 के अनुसार चयन का मापदंड वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार से योग्य और उपयुक्तता था।

4. 02.04.1994 को आयोजित विभागीय पदोन्नति सूची में प्रतिवादियों सहित 300 अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों पर विचार किया गया। इससे पहले 15.09.1993 को विभागीय पदोन्नति सूची का गठन किया गया था जिसमें 20 अधिकारियों पर विचार किया गया था, जिनमें से 16 को पदोन्नति दी गई थी और उसके बाद विभागीय पदोन्नति सूची ने उपलब्ध रिक्तियों के लिए शेष अधिकारियों पर विचार किया था।

5. विभागीय पदोन्नति सूची ने तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं। वर्तमान मामले के निर्णय के लिए निम्नलिखित मापदंड सुसंगत हैं:

   i. उपयुक्तता का निर्धारण पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। पाँच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष अभ्यर्थी को “क” ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। पिछले दो वर्षों में उसे कम से कम “ख” ग्रेड प्राप्त होना चाहिए।

   ii. पिछले तीन वर्षों को छोड़कर, यदि किसी अभ्यर्थी को “ग” ग्रेड दिया गया है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए “क+” या “क” ग्रेड दिया जाना चाहिए।

   उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर, यदि किसी विशेष वर्ष की एसीआर उपलब्ध नहीं है, तो पिछले वर्ष की एसीआर पर विचार किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iii. अधिकारी की निष्ठा संदेह से परे होनी चाहिए।

iv. यदि किसी अधिकारी की पांच वर्षों में से तीन वर्ष की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध नहीं है तो उसका मामला स्थगित रहेगा तथा यदि वर्ष 92 की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध नहीं है तो समिति की सिफारिश उपयुक्त पाये जाने पर होगी, जबकि उस वर्ष (31.03.92) की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली कम से कम "ख" ग्रेड की होनी चाहिए।

6. उत्तरवादी क्र. 1, की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि विभागीय पदोन्नति सूची ने उल्लेख किया था कि वर्ष 88-89 के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि, वर्ष 90-91 के लिए उनका वार्षिक गोपनीय चरित्रावली "ख" के रूप में उल्लेखित है और वर्ष 1992 में उन्हें "ग" ग्रेड दिया गया था, लेकिन हमने अभिलेखों से पाया है कि वर्ष 1989 की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली अभिलेखों में अच्छी तरह से उपलब्ध थी, पिछले वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली भी अभिलेखों में उपलब्ध थीं, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया। चूँकि वर्ष 1988-89 की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध नहीं दिखाई गई थी और वर्ष 1992 की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अभिलेखों में इसे बाद में पुनर्निर्मित किया गया, इसलिए हम सुसंगत वर्षों के लिए उत्तरवादी क्र. 1 की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का विवरण निम्नानुसार देना आवश्यक समझते हैं:

1. 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले अवधि (86-87)-

"भू-राजस्व की वसूली 86%, तकाबी में 78%, और प्रकरण कार्य का निपटारा 102%। परिवार नियोजन के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उनके प्रयासों से ही, उनका ब्लॉक (पलारी) अपने लक्ष्य का 172% प्राप्त करके जिले में प्रथम स्थान पर आया।"

ग्रेडिंग-"ए+" उत्कृष्ट.

हस्ता/-

धीरज माथुर

अनुविभागीय अधिकारी

बलौदा बाजार

अनुविभागीय अधिकारी से सहमत ।

भोपाल दिनांक 30.03.88

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एन०पी० तिवारी

तत्कालीन जिलाध्यक्ष, रायपुर

वर्तमान अपर सचिव, कृषि विभाग"

2. 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले अवधि (89-90)-

"राजस्व प्रकरणों के निपटारा एवं राजस्व कार्य संतोषप्रद है। भ्रमण का दिन एवं रात्रि विश्राम भी संतोषप्रद है। व्यवहारकुशल अधिकारी है। कर्तव्यों के निर्वतन में रूचि लेते है। आम जनता में छबि साधारण है। अपने सहयोगी अधिकारियों से संबंध साधारण स्तर में रखते है। लोक

सभा एवं विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक निष्पादन किया आपकी सरकार आपके द्वार को सफल बनाने में इनका योगदान रहा ।

श्रेणी "ख" प्रदान की जाती है।

(जी.एस.मिश्रा.)

अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा

अनुविभागीय अधिकारी की टीप से सहमत

कलेक्टर, राजनांदगांव

अनुविभागीय अधिकारी एंव कलेक्टर के मत से सहमत

(अ.द. मोहिले)

कमिशनर, रायपुर संभाग

4.9.90"

3. 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले अवधि (90-91)-

"श्रेणी अच्छा"

(टी.सी. महावर)

अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा

सहमत

विवेक ढांड

तत्का.कलेक्टर, दुर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सहमत

अनुमोदित

(अ.द. मोहिले)

कमिश्नर, रायपुर संभाग

15.1.92"

7. 31 मार्च, 89 (88-89) को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध नहीं थी, हालाँकि यह वर्ष 1994 में उपलब्ध हो गई थी जब विभागीय पदोन्नति समिति (विभागीय पदोन्नति सूची) पहले ही आयोजित हो चुकी थी। तथापि, उत्तरवादी क्र. 1, के वर्ष 88-89 के लिए वरिष्ठता का विवरण निम्नानुसार है:

"श्रेणी-उत्कृष्ट क*"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(जी.एस. मिश्रा)

तत्कालीन अ.वि.प (सिविल) कवर्धा

वर्तमान प्रशासक न.पा.नि. रायपुर

स्थान-रायपुर

दिनांक 18.07.94

मैं प्रतिवेदक अधिकारी से सहमत हूं। श्री अकबर एवं आज्ञाकारी, अनुशासित, परिश्रमी, गतिशील अधिकारी है तथा प्रश्नाधीन अवधि में उत्कृष्ट कार्य किया।

"श्रेणी- क"

अजय नाथ

उप सचिव (प्रशासन)

वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

मैं तत्कालीन जिलाध्यक्ष के उपरोक्त अभिमत से सहमत हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(आर.पी.बागई)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन

श्रम, जनशक्ति कार्य

विभाग"

8. 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) (91-92) रिकार्ड में उपलब्ध है, जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"श्रेणी-उत्कृष्ट"

(जे.पी. तिवारी)

मु.का.अधिकारी

जिला पंचायत मंडला

स्थान – मंडला

दिनांक 17.05.98

तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी की टीप से सहमत । कार्य का समग्र मूल्यांकन श्रेणी-क बहुत अच्छा से करना अधिक उपयुक्त होगा

पूर्व कलेक्टर

दुर्ग (म.प्र.)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अतः, कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ व्यक्ति और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (क्रमशः रिपोर्टिंग एवं अनुमोदन प्राधिकारी), जहाँ उत्तरवादी क्रमांक 1, सुसंगत अवधि अर्थात् 91-92 के दौरान पदस्थ था, ने अपनी ग्रेडिंग दी है और उसे "A+" से घटाकर "A" कर दिया गया है। अतः, जिला विभागीय पदोन्नति सूची द्वारा उचित वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों (एसीआर) पर विचार किए बिना, उत्तरवादी क्रमांक 1, के मामले की समीक्षा करना उचित नहीं था। यह देखा गया है कि वर्तमान में अपीलकर्ता/राज्य के पास विभागीय पदोन्नति सूची का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और उसे विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया।

10. राज्य/अपीलकर्ताओं के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित ने बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 40 और 41 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "40. जब तक वेडनसबरी सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई मजबूत मामला न हो या दुर्भावनापूर्ण इरादे न हों, न्यायालय और न्यायाधिकरण विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा पदोन्नति के लिए गुणागुण या उपयुक्तता के संबंध में किए गए आकलन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन दुर्लभ मामलों में, यदि आकलन दुर्भावनापूर्ण साबित होता है या अस्वीकार्य या असुसंगत या महत्वहीन और तुच्छ सामग्री पर आधारित पाया जाता है और यदि किसी के करियर के सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज करने या उन्हें महत्व न देने का रवैया दृढ़ता से प्रदर्शित होता है, या यदि निकाले गए निष्कर्ष ऐसे हैं कि कोई भी उचित व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है, या यदि निर्णय से जुड़ी अवैधता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 226 में निहित है , जिसे पुरोबन्धित किया जा सकता है।
>
> 41. जहाँ न्यायालयों को विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, वहीं कार्यपालिका को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] एआईआर 2000 एससी 3243

भी यह ध्यान रखना चाहिए कि असाधारण मामलों में, उनके द्वारा किया गया गुणागुण-आकलन संकीर्ण वेडनसबरी सिद्धांतों के अंतर्गत या दुर्भावना के आधार पर न्यायालयों द्वारा जाँचा जा सकता है। न्यायिक शक्ति विद्यमान है, लेकिन इसका प्रयोग केवल दुर्लभ और असाधारण स्थितियों तक ही सीमित है। हम ये टिप्पणियाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि न्यायालय या न्यायाधिकरण इस मामले को एक आसान सिद्धांत के रूप में उद्धृत करके हर मामले में गुणागुण-आकलन में हस्तक्षेप न करें। न्यायालय और न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते और न ही विभागीय पदोन्नति समितियों के विचारों के स्थान पर अपने विचार रख सकते हैं। न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप विभागीय समितियों और पदोन्नतियों की सिफारिशों को पंगु बना देगा। वर्तमान मामला केवल दुर्लभ मामलों में ही एक मिसाल बन सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान मामले में, हमारा मानना है कि यह मामला दुर्भावना का नहीं है, बल्कि यह "किसी के करियर के सकारात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज़ करने या महत्व न देने" का मामला है, क्योंकि उत्तरवादी क्र. 1, की पाँच साल की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) पर विभागीय पदोन्नति सूची द्वारा विचार नहीं किया गया। यदि एक साल की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) उपलब्ध नहीं होती, तो विभागीय पदोन्नति

सूची प्रतिपादित मापदंडों के अनुसार उसका अध्ययन कर सकती थी। इसलिए राज्य द्वारा उठाए गए आधार विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

12. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भारत संघ एवं अन्य बनाम ए.के. के मामले[2] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लिया है :- जिसमे उच्चतम न्यायालय के पैरा-13 एवं 14 में निम्नानुसार टिप्पणी किया है:-

> 13. उत्तरवादी ने 1986-87, 1988-89 और 1989-90 के लिए तीन 'बहुत अच्छी' रेटिंग भी हासिल की थी। अन्य दो वर्षों, यानी 1985-86 और 1987-88 के लिए, उत्तरवादी ने 'अच्छी' रेटिंग हासिल की थी। उत्तरवादी ने तर्क दिया कि 1987-88 के लिए उसकी रेटिंग आर.एस. विर्क की 1988-89 की रेटिंग के समान थी क्योंकि स्वीकार करने वाले प्राधिकारी ने बिना कोई कारण बताए उसकी रेटिंग घटा दी थी, और इसलिए, विभागीय पदोन्नति सूची को 1987-88 के लिए उसकी रेटिंग को 'बहुत अच्छा' के रूप में संशोधित करना चाहिए था। सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम पाते हैं कि उत्तरवादी का मामला आर.एस. विर्क के मामले से अलग था। वर्ष 1987-88 के लिए उत्तरवादी की सीआर में दो भाग थे। पहली छमाही के लिए, यानी 1.4.1987 से 26.9.1987 तक, रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने उन्हें 'अच्छा' ग्रेड दिया था और पुनर्विलोकन प्राधिकारी ने उन्हें 'बहुत अच्छा' ग्रेड

[2] एआईआर 2007 एससी 2296

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दिया था और स्वीकार करने वाले प्राधिकारी ने उन्हें 'अच्छा' ग्रेड दिया था। दूसरे आधे के संबंध में, यानी 3.10.1987 से 31.3.1988 तक, सभी तीन प्राधिकारियों (रिपोर्टिंग प्राधिकारी, पुनर्विलोकन प्राधिकारी और स्वीकार करने वाले प्राधिकारी) ने उन्हें केवल 'अच्छा' रेट किया था। 1987-88 की दूसरी छमाही के लिए उत्तरवादी की रेटिंग की पुनर्विलोकन या उन्नयन का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि सभी तीन प्राधिकारियों ने उन्हें एक साथ 'अच्छा' ग्रेड दिया था। यहां तक कि उस वर्ष की पहली छमाही (1.4.1987 से 26.9.1987) के संबंध में भी, आर.एस. विर्क मामले में, जहाँ रिपोर्टिंग प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी दोनों ने सर्वसम्मति से 'बहुत अच्छा' रेटिंग दी थी, रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने उत्तरवादी को 'अच्छा' और पुनर्विलोकन प्राधिकारी ने उसे 'बहुत अच्छा' रेटिंग दी थी; और रिपोर्टिंग प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी के बीच मतभेद को देखते हुए, स्वीकार करने वाले प्राधिकारी ने उसे 'अच्छा' रेटिंग देने का निर्णय लिया। मूल्यांकन के बाद, विभागीय पदोन्नति सूची ने मूल्यांकन करने पर सही पाया कि यह प्रकरण उत्तरवादी के ग्रेडिंग को पुनरक्षित करने का नहीं था। सही पाया कि संशोधन का कोई मामला नहीं था। उत्तरवादी की ग्रेडिंग। पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति सूची ने यह भी पाया कि उत्तरवादी के मामले के तथ्य आर.एस. विर्क के मामले से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भिन्न थे। सीआर ने दर्शाया कि आर.एस. विर्क को अपग्रेड किया जाना चाहिए था, जबकि उत्तरवादी को नहीं।

14. दिशानिर्देश विभागीय पदोन्नति सूची को कुछ हद तक स्वतंत्रता देते हैं, यह प्रावधान करते हुए कि उसे सीआर में दर्ज समग्र ग्रेडिंग से निर्देशित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह सीआर में प्रविष्टियों के आधार पर अपना मूल्यांकन कर सकता है। विभागीय पदोन्नति सूची को प्रत्येक उम्मीदवार के प्रदर्शन का अलग-अलग समग्र मूल्यांकन करना होगा, लेकिन समान मानकों, मापदंडों और मापदंडों को अपनाते हुए, केवल तभी जब मूल्यांकन प्रक्रिया पक्षपात, दुर्भावना या मनमानी के आधार पर दूषित हो, चयन में हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जहां विभागीय पदोन्नति सूची ने सभी उम्मीदवारों पर समान मापदंड और मापदंड लागू करके निष्पक्ष, निष्पक्ष और युक्तियुक्त तरीके से आगे बढ़ी है और विभागीय पदोन्नति सूची द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई मनमानी नहीं है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मोहम्मद माइनुद्दीन [1987 (4) एससीसी 486], संघ लोक सेवा आयोग बनाम हिरण्यलाल देव [1988 (2) एससीसी 242] और बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार [2000 (8) एससीसी 395])। पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति सूची ने मामले पर पुनर्विचार किया और विस्तृत कारण बताए कि उत्तरवादी का मामला आर एस विर्क

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के मामले के समान क्यों नहीं था। यदि उन परिस्थितियों में, पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति सूची ने 1.4.1987 से 31.3.1988 की अवधि के लिए उत्तरवादी की ग्रेडिंग को 'अच्छा' से 'बहुत अच्छा' में नहीं बदलने का निर्णय किया, 13.6.1990 की विभागीय पदोन्नति सूची के संदर्भ में उन्हें 'अच्छे' समग्र रेटिंग वाले अधिकारियों के समूह से 'बहुत अच्छे' समग्र रेटिंग वाले अधिकारियों के समूह में स्थानांतरित करने और उन्हें पदोन्नत करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। विभागीय पदोन्नति सूची के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दुर्भावना या पक्षपात के आरोप के अभाव में और मूल्यांकन के तरीके में किसी भी प्रकार की मनमानी के अभाव में, उच्च न्यायालय का यह निर्देश है कि उन्नयन का लाभ उत्तरवादी को दिया जाए, जैसा कि आर. एस. विर्क के मामले में किया गया था, न्यायोचित नहीं था।

पुनः: प्रश्न (ii)

13. उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष और हमारे समक्ष एकमात्र तथ्य यह है कि जिला अभियोजन समिति द्वारा पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) पर विचार करने के लिए मापदंड बनाते समय, विभागीय पदोन्नति समिति ने उत्तरवादी क्र. 1, की पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) पर विचार नहीं किया था और इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में अब सभी पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चरित्रावली (एसीआर) उपलब्ध हैं, और इस प्रकार, उत्तरवादी क्र. 1, की पदोन्नति पर विचार करने के लिए, 2 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार, अभिलेखों में उपलब्ध पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) के आधार पर विचार करना आवश्यक है। बल्कि हमने यह देखा था कि एसीआर से प्रतिकूल प्रविष्टियों को मिटाने से किसी व्यक्ति को 'बहुत अच्छा' या 'अच्छा' की श्रेणी में रखने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि एसीआर की पुनर्विलोकन करने या एसीआर में प्रविष्टियों को मिटाने पर उसे यह दर्जा न दिया जाए, लेकिन हम इस आधार पर जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विभागीय पदोन्नति सूची द्वारा उत्तरवादी क्र. 1, की एसीआर पर विचार न करने का कारण ही पर्याप्त था, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरवादी क्र. 1 के मामले पर पदोन्नति के लिए पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. देव दत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य[3] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि पदोन्नति के लिए पात्रता के संदर्भ मे एक "अच्छी" प्रविष्टि भी प्रतिकूल हो सकती है।

15. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम उत्तरवादी क्र. 1, की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) से संतुष्ट हैं, जो विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष और हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई थीं। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जैसा की ऊपर चर्चा किया गया है, हमें विद्वान

[3] 2008(8) एससीसी 725

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या स्पष्ट त्रुटि नहीं मिली, जिसकी हम पुष्टि करते हैं।

16. इस प्रकार, यह रिट अपील विफल होती है। यह खारिज किए जाने योग्य है और इसके द्वारा खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

एसडी/-
आई.एम. कुद्दुसी
न्यायमूर्ति

एसडी/-
एन. के. अग्रवाल
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu